न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री रवि कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या:– 31 / 2020
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
–प्रार्थी

बनाम

महावीर, दौलतराम, रामेश्वरलाल, चानणराम पि. हजारीराम जाति कुम्हार निवासी रावतसर।
–अप्रार्थीगण

उपस्थित:– पेरोकार राज–प्रार्थी
श्री गुरजीत सिंह वकील अप्रार्थीगण
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय दिनांक– 21-02-2024

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी राजपेरोकार द्वारा दिनांक 20.10.2020 को विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया कि पटवारी हल्का 29 डीडब्ल्यूडी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अप्रार्थीगण महावीर, दौलतराम, रामेश्वरलाल, चानणराम पि. हजारी जाति कुम्हार निवासी रावतसर द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के खेजड़ी के हरे पेड़ काटे गये। पटवारी हल्का ने अपने रिपोर्ट दिनांक 15.10.2020 के साथ फर्द मौका पेश किया। जिसके अनुसार चक 18 एनडब्ल्यूडी के प.नं 133 / 33(13), 133 / 41(14) कुल 13.690 है. बारानी के अप्रार्थी महावीर, दौलतराम, रामेश्वरलाल, चानणराम पि. हजारीराम जाति कुम्हार निवासी रावतसर के नाम दर्ज है। उक्त भूमि में मौके पर 20 पेड़ हरे खेजड़ी के काटे गये। उक्त को मौके पर जब्त किया गया। उक्त मौके पर हरे पेड़ों श्रीप्रकाश बिश्नोई पुत्र रामूराम बिश्नोई की सुपुर्दगी में दिये गये। सुपुर्दगीकार को 20 पेड़ों को खुर्द बुर्द न हो इसकी हिदायत दी गई। उक्त हरे पेड़ काटने संबंधी कोई स्वीकृति / आज्ञा अप्रार्थी द्वारा प्राप्त नहीं की है। हरे वृक्ष खेजड़ी को बिना स्वीकृति के हटाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाई गई है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 आरटीएक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी महावीर, दौलतराम, रामेश्वरलाल, चानणराम पि. हजारीराम जाति कुम्हार निवासी रावतसर ने जो अपनी खातेदारी भूमि में बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के 20 हरे पेड़ काटे गये है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध भारी से भारी जुर्माना व मौके पर पड़े 20 हरे पेड़ की निलामी की कार्यवाही के आदेश फरमाये जावे। तहसीलदार राजस्व रावतसर ने अपने दावा के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का व फद मौका पेश किये।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि[illegible] गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 03.03.2022 को [illegible] जरिये वकील उपस्थित आकर जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अपने जबाब [illegible] अप्रार्थीगण ने लिखा कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध पारित किया गया उक्त अनवान [illegible] कार्यवाही में तथ्यों ए[illegible] परिस्थितियो के विरूद्ध विधि विरूद्ध है अतः निरस्त होने योग्य है। उक्त अनवान की कार्यवाही में अभिलिखित भूमि अप्रार्थीगण द्वारा काश्त की जाती है। प्रार्थी ने जिन खेजडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 20:23:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

पेडो का अंकन किया है ये पेड़ पुरे परिपक्व पेड़ नहीं है अपितू छोटे–छोटे पोधो के रूप में थे जो अप्रार्थीगण से अपनी कृषि भुमि को जोतने में अड़चन पैदा करते है थे इसलिए अप्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि में कास्त करने मैं अड़चन पैदा कर रहे पोधों को हटाया है जो कंटीले थे। जिन्हे भुमि कास्त करने के लिये हटाया जाना आवश्यक था ऐसी परीस्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया नोटिस निरस्त होने योग्य है क्योकी कोई 15 पेड बता रखे है तथा कोई 20 पेड बता रहा है तथा पटवारी द्वारा मोका पर रात्री 8:30 बजे जाना बताया गया है जो कि सम्भव नही है मिथ्या तथ्य अंकित किये गये है। अप्रार्थीगण द्वारा अभिलिखित 20 पेड़ हरी खेजड़ी के नही काटे अपितू छोटे–छोटे कंटीले पौधो को जो भुमि कास्त में अवरोध उत्पन्न करते थे उन्हे हटाया है अप्रार्थीगण के विरूध उक्त अनवान की कार्यवाही मिथ्या की गई है जो चलने योग्य नही है और निरस्त होने योग्य है।

वकुलाए फरिकेन की बहस सुनी गई। राजपेरोकार ने अपनी बहस में कहा कि अप्रार्थीगण ने बिना स्वीकृति के पेड़ों को काटा है। अप्रार्थीगण के पास कोई स्वीकृति नहीं थी। इसलिये उनके विरूद्ध 86 आरटीएक्ट के तहत कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया। दूसरी तरफ वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थी ने जिन खेजड़ी के पेड़ों का अंकन किया है वे पेड़ पुरे परिपक्व नहीं थे अपितू छोटे–छोटे पौधे थे जो भूमि काश्त में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे उन्हे हटाया है।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी, पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं फर्द मौका आदि का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड के अनुसार अप्रार्थीगण ने बिना स्वीकृति के 20 खेजड़ी के अवैध रूप से काटे गये है। अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 आरटीएक्ट आशिंक स्वीकार करते हुए आदेश दिये जाते है कि कुर्क शुदा लकड़िया जो श्रीप्रकाश बिश्नोई पुत्र रामूराम की सुपुदर्गी में है, को निलाम करे तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध बिना स्वीकृति काटे गये कुल 20 पेड़ों पर 100/– रूपये प्रति पेड़ की दर से कुल 2000/– रूपये शास्ति कायम की जाती है तथा अवैध रूप से काटे गये पेड़ों की लकड़ी को सार्वजनिक रूप से निलाम कर निलामी राशि व एवं उक्त शास्ति राज कोष मे जमा करवाये जाने के तहसीलदार रावतसर को आदेश जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास आज दिनांक 21-3-2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 20:23:19 IST
Reason: SelfAttested

(रवि कुमार) 23

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर